(स्थापना/ Established in 1956)
बेहतर भविष्य के लिए क्षमता निर्माण
Capacity Building for a Better Future

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान

(विश्वविद्यालय समतुल्य)
गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई – 400088

कार्यस्थल पर महिलाओं एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न की निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए आईआईपीएस दिशानिर्देश

पोस्टर क्रेडिट: ट्रिबेनी स्नोबॉल, अंगशुमन बैग, अन्वेषा शर्मा (एमए/एमएससी, सेम II, 2023)

पॉश अधिनियम, 2013

"कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" महिलाओं हेतु सुरक्षित कार्य स्थल सुनिश्चित करने और गरिमापूर्ण कार्यानुकूल वातावरण बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है, जो महिलाओं की स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान करता है।

आईआईपीएस दिशानिर्देश

आईआईपीएस लैंगिक उत्पीड़न और भेदभाव मुक्त परिवेश को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह बिना किसी डर के उत्पीड़न की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने तथा उसकी गोपनीयता और निष्पक्ष निवारण का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह संस्थान यौन उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव के प्रति पूर्ण असहिष्णु है। अपने कार्य स्थल पर सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

आईआईपीएस आंतरिक समिति

आईआईपीएस-आंतरिक समिति का गठन 2014 में हुआ था। तब से, आईआईपीएस-आईसी कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने तथा परिसर में एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पॉश अधिनियम 2013 और यूजीसी नियम 2015 का निष्ठापूर्वक पालन करने हेतु प्रतिबद्ध है।

लैंगिक उत्पीड़न क्या है?

शारीरिक स्पर्श और चेष्टएं

यौन संबंधों की मांग/ अनुरोध

काम रंजीत टिप्पणियाँ करना

कामोत्तेजित सामाग्री का प्रदर्शन

यौन संबंधित अशोभनीय मौखिक अथवा लिखित अवांछनीय आचरण

लैंगिक उत्पीड़न जनित अन्य परिणाम

वांछित व्यवहार	अवांछित व्यवहार
सहज महसूस होना	असहज महसूस करना
पारस्परिक	एक तरफा
नियंत्रित	असमर्थ महसूस करना
इच्छित	अवांछित
समानता	असमान
कानूनी	गैरकानूनी
निष्कपट	कपट
सराहनीय	निंदनीय
प्रसन्नचित्त	क्रोध/उदासी
सकारात्मक आत्मसम्मान	नकारात्मक आत्मसम्मान

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रूप

क्विड प्रो क्वो (शाब्दिक रूप से 'इसके लिए यह')
कार्यस्थल पर नियोक्ता या वरिष्ठ के द्वारा रोजगार या उससे लाभ प्राप्त करने के बदले में यौन गतिविधि या व्यवहार के लिए स्पष्ट या निहित शर्त रखना और ऐसा न करने पर प्रतिकूल कार्रवाई की धमकी देना।

प्रतिकूल/शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण
कोई भी व्यवहार जिसमें अंतर्निहित या स्पष्ट यौन आशय हो जो कि

1. शत्रुतापूर्ण, डराने वाला या आक्रामक वातावरण बनाता हो।
2. अपमानजनक व्यवहार से उसके कार्य प्रदर्शन और स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना हो।

कौन-कौन शिकायत कर सकता है?

- व्यथित महिला
  - कार्यरत
    - नियमित
    - अस्थाई
    - तदर्थ
    - दैनिक मजदूर
    - घरेलू कामगार
  - आगंतुक
  - छात्र

शिकायत में उल्लेखनीय तत्व

- घटना/घटनाओं का दस्तावेज़ सहित लिखित विवरण
  - दिनांक और समय
  - घटना/घटनाओं का स्थान
  - प्रतिवादी का नाम और संपर्क विवरण
  - पक्षों के बीच संबंध

समाधान प्रक्रिया

- प्राप्त शिकायत
  - औपचारिक
    - आंतरिक समिति → नियोक्ता → स्थानीय समिति /न्यायाधिकरण/न्यायालय
  - अनौपचारिक
    - आपसी सुलह

शिकायत निवारण समय-सीमा

1. **आंतरिक समिति के पास शिकायत दर्ज करना** – अंतिम घटना के 3 महीने के भीतर
2. **प्रतिवादी को नोटिस** – शिकायत की प्रति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर
3. **जांच समय-सीमा** – 90 दिनों के भीतर
4. **आईसी द्वारा नियोक्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करना** – जांच पूरी होने के 10 दिनों के भीतर
5. **सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन** – 60 दिनों के भीतर

दंड

छात्र
- चेतावनी
- लिखित माफ़ी
- अच्छे आचरण का अनुबंध
- छात्रावास/मेस/परिसर में प्रवेश वर्जित
- एक विशिष्ट अवधि के लिए निलंबन
- परिणाम रोकना
- परीक्षा से वंचित करना
- फ़ेलोशिप को रोकना
- निष्कासन
- संस्थान में दाखिला वर्जित

कर्मचारी
- चेतावनी
- लिखित माफ़ी
- अच्छे आचरण का अनुबंध
- कोई अन्य प्रासंगिक प्रक्रिया
- सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी
- सेवा लाभों से वंचित कर दिया जाना
- वैधानिक निकायों की सदस्यता, पुनर्नियुक्ति, या अनुबंध का नवीनीकरण से इनकार
- वेतन वृद्धि/पदोन्नति रोकना
- पदावनति
- निलंबन
- सेवामुक्ति

अन्य पक्ष (ग्राहक, आगंतुक, विक्रेता)
- चेतावनी
- लिखित माफ़ी
- परिसर में प्रवेश वर्जित

नोट:
1. कार्रवाई का कारण लिखित में देना होगा।
2. शिकायतकर्ता पर किसी भी तरह से दबाव डालने और समिति पर दबाव/धमकी देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
3. शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता सख्ती से बरकरार रखी जाएगी।

परिभाषा

कर्मचारी: यह कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आईआईपीएस के सदस्यों में संकाय (स्थायी और अस्थायी), कर्मचारी (स्थायी और अस्थायी), अनुसंधान छात्र (पूर्णकालिक और अंशकालिक), दैनिक वेतनभोगी कार्यकर्ता, और कोई परिसर में अन्य आगंतुक भी शामिल हैं।

छात्र: ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने विधिवत प्रवेश लिया हो और अध्ययन के किसी कार्यक्रम में भाग लिया हुआ हो, जिसमें अल्पकालिक प्रशिक्षण (नियमित या दूरस्थ माध्यम से) शामिल हो या जो प्रवेश लेने की प्रक्रिया में हो या किसी संस्थान की गतिविधि में भागीदार हो, वह संस्थान का छात्र माना जाएगा।

कार्यस्थल/परिसर: "कार्यस्थल" की परिभाषा से अत्यधिक व्यापक है। ऐसे सभी स्थान या भूमि जिस पर आईआईपीएस और उससे संबंधित संस्थागत सुविधाएं/सुविधाएं स्थित हैं या आईआईपीएस के स्वामित्व तथा नियंत्रण में हैं जैसे कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, व्याख्यान कक्ष, आवास, कैंटीन और खेल के क्षेत्र आदि। इसमें प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए परिवहन सहित आधिकारिक कार्य या अध्ययन/क्षेत्र कार्य के दौरान किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान जहां वह अपने अध्ययन की गतिविधि में प्रतिभागिता हेतु या किसी प्रशिक्षण में शामिल होता है. शिकायत जिसके भी विरुद्ध दर्ज की गई है, आईआईपीएस उनका कार्यस्थल है जब तक कि यह तीसरे पक्ष का उत्पीड़न न हो।

यौन उत्पीड़न: लैंगिक उत्पीड़न एक ऐसा अवांछित आचरण है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लैंगिक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। यह लैंगिक भावना से युक्त मौखिक, शारीरिक, सांकेतिक अथवा लिखित रूप में हो सकता है। लैंगिक उत्पीड़न में यौन उत्पीड़न, अवांछित यौन प्रस्ताव, कार्य के बदले यौन अनुग्रह तथा इसे न मानने पर प्रतिकूल परिणाम व उसकी धमकी देना या यौन प्रवृत्ति का अन्य मौखिक एवं शारीरिक उत्पीड़न शामिल हो सकते हैं जो, अपमानजनक, शत्रुतापूर्ण एवं भयपूर्ण वातावरण उत्पन्न करता हो।

आंतरिक समिति के कार्यकारी सदस्य एवं उनके संपर्क विवरण

अध्यक्ष	प्रोफेसर अर्चना के रॉय	
संकाय सदस्य	डॉ. रेशमी आर.एस डॉ. सुरेश जुनगरी	
गैर-अध्यापनरत कर्मचारी	सुश्री लवीना टावरो डॉ. पी. मुरुगेसन सुश्री शीतल झोरे	
छात्र सदस्य	श्री चंदन हांसदा सुश्री कोमल गजभिये सुश्री पूजा दास श्री तुषार डाकुया	
बाह्य सदस्य	प्रोफेसर विभूति पटेल	
संपर्क विवरण	**कार्यालय** 022-42372400 **अध्यक्ष** 022-42372544 8879247432 **परामर्शदाता का नंबर** 9820565115 **आपातकालीन सेवा सहायता नं** 112	**ईमेल:** iccommittee@iipsindia.ac.in **वेबसाइट:** https://www.ugc.gov.in/pdfnews/7203627_UGC_regulations-harassment.pdf **शी-बॉक्स लिंक** https://shoebox.nuc.in

डिज़ाइन क्रेडिट: परमिता मजूमदार (पीएचडी छात्र, आईआईपीएस)
हिंदी अनुवाद : निवेदिता मिश्रा (हिंदी अधिकारी, आईआईपीएस)

(स्थापना/ Established in 1956)
बेहतर भविष्य के लिए क्षमता निर्माण
Capacity Building for a Better Future

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR POPULATION SCIENCES

(Deemed-to-be-University)

Govandi Station Road, Deonar, Mumbai – 400088

IIPS Guidelines for Prevention, Prohibition, and Redressal of Sexual Harassment of Women and Students at the Workplace

Poster Credits (PoSH) : Tribeni , Anshuman, Anwesha (M.A/MSc. Sem IV, 2023)

PoSH Act, 2013

The "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013" was enacted to ensure safe working spaces for women and to build enabling work environments that respect women's right to equality of status and opportunity.

The IIPS Guidelines

IIPS is dedicated to fostering a work environment, free from sexual harassment and discrimination. It ensures the right to report any incidents of harassment without fear of retaliation and redressal with confidentiality and fairness. It has zero tolerance for sexual harassment and discrimination based on sex/gender. It is dedicated to ensuring a workplace where all individuals are treated with dignity and respect.

IIPS Internal Committee

The Internal Committee of IIPS was established in 2014. Since then, the IC-IIPS has been committed to follow the PoSH Act and UGC regulations to prevent sexual harassment against women and to ensure that the campus is a safe work environment.

What is sexual harassment?

Physical Contact and Advances

Demand/Request for Sexual Favours

Making Sexually Coloured Remarks

Showing Pornography

Unwelcomed Physical, Verbal or Non-verbal Conduct of Sexual Nature

Related Consequences on the Victim

Welcome Behaviour	Unwelcome Behaviour
Feels Good	Feels Bad
Reciprocal	One-Sided
In-control	Feels Powerless
Wanted	Unwanted
Equality	Power-based
Legal	Illegal
Open	Invading
Appreciative	Demeaning
Happy	Causes Anger/Sadness
Positive Self-Esteem	Causes Negative Self-Esteem

Forms of Workplace Sexual Harassment

Quid Pro Quo (Literally 'This for That')

Implying or explicitly stating that sexual favours are a condition for job benefit and threatening adverse action if sexual advances are rejected.

Hostile Work Environment

Any behaviour that has an implicit or explicit sexual undertone that

1. Creates a hostile, intimidating, or offensive work environment.
2. Humiliating treatment is likely to affect her work performance and health well-being.

Who all can complain?

Aggrieved Woman

- Working
  - Regular
  - Temporary
  - Ad Hoc
  - Daily Wage
  - Domestic Worker
- Visitor
- Student

Elements of Complain

Written Description of Incident/s with evidence

- Date[s] and Timing
- Location of the Incident/s
- Respondent's Name and Contacts
- Relationship between Parties

Redressal Mechanism

Complaint Received

- Formal
  - Internal Committee → Employer → Tribunal/Court
- Informal
  - Conciliation

Complaint Redressal Timeline

1. **Submission of Complaint to IC** – Within 3 months of the last incident
2. **Notice to Respondent** – Within 7 days of receiving a copy of the complaint
3. **Completion of Inquiry** – Within 90 days
4. **Submission of Report by IC to Employer** – Within 10 days of completion of the inquiry
5. **Implementation of Recommendations** – Within 60 days

Punishments

Students

- Warning
- Written apology
- Bond of good behaviour
- Debarring entry into the hostel/mess/campus
- Suspension for a specific period
- Withholding results
- Debarring from exams
- Stopping of fellowship/contingency
- Expulsion
- Denial of admission

Employee

- Warning
- Written apology
- Bond of good behaviour
- Any other relevant mechanism
- Adverse remarks in the service book
- Debarring from duties
- Denial of membership of statutory bodies, reemployment, or renewal of contract
- Stopping of increments/promotions
- Reverting demotion
- Suspension
- Dismissal

Third-Party
(Client, Visitor, Vendor)

- Warning
- Written apology
- Debarring entry into the campus

NOTE:

1. The reasons for the action have to be provided in writing.
2. Action will be taken against person(s) who try to pressurise the complainant in any way and any pressure/threat to the committee.
3. Confidentiality of the complainants will be strictly maintained.

Glossary

Employee: A person as defined in the Act and also members of the IIPS including faculty (permanent and temporary), staff (permanent and temporary), research scholar/student (full-time and part-time), daily wage worker, and any other visitor in the campus.

Student: Anyone duly admitted and pursuing a program of study, including short-term training (through regular or distance mode) or who is in the process of taking admission or a participant to any institute activity.

Workplace/Campus: The definition of "workplace" is quite broad. Location or land on which IIPS and its related institutional facilities/amenities are situated or owned and controlled by the IIPS such as libraries, labs, lecture halls, residences, canteens and playgrounds etc. It also includes any place visited by an employee or student during official work or study/ fieldwork including transportation provided by the Authority. Whoever the complaint is filed against, IIPS is their workplace unless it's third-party harassment.

Sexual harassment: An unwanted conduct with a sexual undertone, if it occurs or which is persistent and which demeans, humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to include submission by actual or threatened adverse consequences.

Internal Committee Members And Contact Details

Chairperson	Prof. Archana K Roy	
Faculty Members	Dr. Reshmi RS Dr. Suresh Jungari	
Staff Members	Ms. Lavina Tauro Dr. P. Murugesan Ms. Sheetal Zore	
Student Members	Mr. Chandan Hansda Ms. Komal Gajbhiye Ms. Puja Das Mr. Tushar Dakua	
External Member	Prof. Vibhuti Patel	
Contact Details:	**Office** 022-42372400 **Chairperson** 022-42372544 8879247432 **Counsellor** 9820565115 **Emergency Response Support Number** 112	**Email** iccommittee@iipsindia.ac.in **Website** https://www.ugc.gov.in/pdfnews/7203627_UGC_regulations-harassment.pdf **Shoebox Link** https://shoebox.nuc.in

Design Credits: Paramita Majumdar (PhD Scholar, IIPS)
Hindi Translation: Ms. Nivedita Mishra, Hindi Officer, IIPS